फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

बनाम

केस संख्या 160/22

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/5/24 पेशी	पत्रावली आज दावे की पत्रावली के साथ तलब की गई। वकील प्रार्थी स्वयं उपस्थित। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी के कहने व दावा विड्रॉ होने से प्रा. पत्र 212 RTA का विड्रॉ (खारिज) किया जाता है। प्रा. पत्र 212 RTA का विड्रॉ होने से न्यायालय का पूर्व पारित आदेश दिनांक 27/7/22 का प्रभावहीन हो जाता। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी (जयपुर)

ओ.म.प्र. 21
I. Clerk Cell
06/5/2024

Scanned with OKEN Scanner